

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, चित्रकूट

पत्रांक: 1186 / 33-1 / दिनांक, चित्रकूट, अक्टूबर 10 2018

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता, (नाम से)
विद्युत वितरण खण्ड,
ग्रामीण चित्रकूट, उ०प्र०।

विषय : जनपद-चित्रकूट में राष्ट्रीय मार्ग सं०-76/35 (इलाहाबाद से बांदा मार्ग) के किनारे 332 कि०मी० से 349 किमी० (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33 के०वी० विद्युत लाइन निर्माण हेतु प्रभावित 25.5 हे० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ : भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य लखनऊ) के पत्र संख्या-8 बी/यू०पी०/04/38/2018/एफ०सी०/450 दिनांक 05.10.2018

उपरोक्त संदर्भित पत्र को संलग्न कर अवगत कराना है कि विषयांकित भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कतिपय शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त सभी शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार मय संलग्नक 04 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करें। उक्त शर्तों में शर्त सं०-1 के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वनभूमि 25.5 हे० के दोगुने अवनत वन 51.00 हे० पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आंगणित धनराशि रू० 7428000.00 (मु० चौहत्तर लाख अट्ठाईस हजार रू० मात्र) व शर्त सं०-2 के अनुसार प्रभावित संरक्षित वनभूमि 25.5 हे० में प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने पौधों (औषधीय पौधों) का वृक्षारोपण 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आंगणित धनराशि रू० 33858324.00 (मु० तीन करोड़ अड़तीस लाख अट्ठावन हजार तीन सौ चौबीस रू० मात्र) एवं शर्त सं०-3 (क) के अनुसार प्रभावित संरक्षित वन भूमि 25.5 हे० की एन०पी०वी० धनराशि रू० 15963000.00 (मु० एक करोड़ उनसठ लाख तिरसठ हजार रू० मात्र), सम्पूर्ण धनराशि रू० 57249324.00 (मु० पांच करोड़ बहत्तर लाख उन्चास हजार तीन सौ चौबीस रू० मात्र) को संलग्न पत्र दिनांक 14.07.2017 के अनुसार ई-पेमेन्ट पोर्टल

2

के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा कराकर जमा पर्ची की मूल प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

बिन्दु सं०-01 व 02 एवं 03 (क) का आगणन निम्न प्रकार है :-

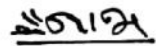
बिन्दु सं०-01 प्रभावित संरक्षित वनभूमि 25.5 हे० के दोगुने अवनत वन क्षेत्र पर क्षतिपूर्क 51.0 हे० पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आगणित धनराशि रु० 7428000.00 (मु० चौहत्तर लाख अट्ठाईस हजार रु० मात्र) होती है।

बिन्दु सं०-02 प्रभावित संरक्षित वनभूमि 25.5 हे० में प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने पौधों (औषधीय पौधों) का वृक्षारोपण 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आगणित धनराशि रु० 33858324.00 (मु० तीन करोड़ अड़तीस लाख अठ्ठावन हजार तीन सौ चौबीस रु० मात्र) होता है।

बिन्दु सं०-03 (क) प्रभावित संरक्षित वन भूमि 25.5 हे० की एन०पी०वी० धनराशि रु० 15963000.00 (मु० एक करोड़ उनसठ लाख तिरसठ हजार रु० मात्र) होता है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(कैलाश प्रकाश)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग चित्रकूट

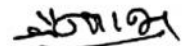
संख्या : 1186 अ/सम्दिनांक।



प्रतिलिपि : मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, उ०प्र०, बाँदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चित्रकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(कैलाश प्रकाश)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग चित्रकूट

